न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टीए / 1991 / 2004 / हनुमानगढ़

1— भादरराम पुत्र स्व0 सदूराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांट

बनाम

1— रामप्यारी पत्नी भादरराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2— चन्दा पत्नी स्व0 सदूराम

3— परमेश्वरी पुत्री सदूराम

4— विधा पुत्री सदूराम

5— विमला पुत्री सदूराम

6— इन्द्रा पुत्री सदूराम

7— सुरती पुत्री सदूराम

समस्त जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः—

श्री अमृतपाल सिंह वानर, अधिवक्ता अपीलांट

रेस्पो0 संख्या 1 बावजूद तामील अनुपस्थित

श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 से 7

निर्णय

दिनांकः— 03.07.2025

अपीलांटस द्वारा यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा अपील संख्या 11 / 04 उनवानी भादरराम बनाम रामप्यारी में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है रेस्पो0 संख्या 1 / वादीया ने अपीलांट व शेष रेस्पो0 के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/1991/2004/हनुमानगढ़

राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ के न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1, रेस्पो0 संख्या 1/वादी रामप्यारी तथा रेस्पो0 संख्या 2 ता 7 एक ही परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज भारूराम के तीन लड़के सदुराम, कुशलाराम, मल्लुराम थे। सदुराम की मृत्यु हो चुकी है। मृतक सदुराम के पत्नी, लड़का तथा पांच लड़कियां विधिक उत्तराधिकारी है। वादी रामप्यारी मृतक सदुराम के पुत्र भादरराम प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी है। विवादग्रस्त भूमि मृतक सदुराम की खातेदारी की भूमि थी, जो उसे अपने पिता भारूराम से अपने भाईयों के साथ विरासतन प्राप्त मृतक भारूराम के नाम से ग्राम 18 एम.एम.के. में 72 बीघा तथा ग्राम 16 एम. एम.के. में 47 बीघा कुल 119 बीघा भूमि थी। भारूराम की मृत्यु के पश्चात् उपरोक्त वर्णित भूमि उसके तीन पुत्रों सदुराम, कुशलाराम, मल्लुराम के नाम से विरासतन बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अंकित हुई। सदुराम की मृत्यु के पश्चात् सदुराम का हिस्सा उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन हुआ है। वादी के ससुर सदुराम के नाम से चक 18 एम.एम.के. के पत्थर संख्या 104/197 मु.न. 40 के किला संख्या 16 वा 25, पत्थर संख्या 105/197 मु.न. 41 के किला संख्या 11 ता 13, 18 ता 23, पत्थर संख्या 105/198 मु.न. 45 के किला संख्या 1 ता 3, पत्थर संख्या 104/198 मु.नं. 46 के किला संख्या 4 ता 7 कुल 18 बीघा भूमि खातेदारी की थी। वादी संख्या 1 के ससुर सदुराम ने अपने भाई कुशलाराम के पक्ष में एक मुख्त्यारआम दिनांक 01.07.74 को निष्पादित कर दिया तथा सदुराम के मुख्त्यारआम ने वादी संख्या 1 के पक्ष में तमलीकनामा दिनांक 04.10.74 को निष्पादित कर दिया। वादी के ससुर सुदराम की मृत्यु के पश्चात् विवादग्रस्त भूमि का विरासतन इंतकाल उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम से स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया है। अतः तमलीकनामा के आधार पर वादिया को विवादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03.01.2004 द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया । विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील

प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष पेश की गई, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2004 द्वारा खारिज कर दिया । अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4— अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि तनकी संख्या 1 व 2 को साबित करने का भार वादी पर था। प्रथम तो यह तनकी ही गलत बनाई गई है । इस तनकी के स्थान पर यह तनकी बनानी चाहिए थी कि क्या तमलीकनामा से वादिया को कोई अधिकार प्राप्त होते हैं। दोनों अधी0न्याया0 ने इस तनकी का निर्णय वादिया के पक्ष में करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि तमलीकनामा दिनांक 04.10.1974 प्रदर्श 3 मृतक सदुराम द्वारा निष्पादित नहीं करवाया गया है। तमलीकनामा कुशलराम जो अपने आप को सदुराम का मुख्त्यारआम बताता है, के द्वारा निष्पादित करवाया गया है। मुख्त्यारआम प्रदर्श 2 में सदुराम ने कुशलराम को तमलीक करने के अधिकार प्रदान नहीं किए है। मुख्त्यारआम तथा तमलीकनामा को पूर्णतया साबित नहीं करवाया गया है। मुख्त्यारनामा के लेखक हनुमानदास तथा गवाह चाननराम व बिरजलाल को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत ही नहीं किया गया। इसी प्रकार तमलीकनामा के लेखक हनुमानदास तथा गवाह सुरजीतसिंह व नत्थासिंह को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। केवल दस्तावेज प्रस्तुत कर देने व उस पर प्रदर्श लगने मात्र ही कोई दस्तावेज साबित नहीं हो जाता है। तनकी संख्या 3 को साबित करने का भार वादिया पर था परंतु वादिया इस तनकी को साबित करने में विफल रही है। दोनों अधी0न्याया0 ने इस तनकी का निर्णय वादिया के पक्ष में किया है, जो काबिल निरस्तनीय है। वादिया ने विवादग्रस्त भूमि के कब्जा के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। बिना रिकार्ड अथवा दस्तावेज के वादिया के कब्जे का निष्कर्ष पूर्णतया विधिक प्रावधानों के विपरीत है। तनकी संख्या 4 एक कानूनी तनकी थी जिसे प्रतिवादीगण ने पूर्णतया साबित कर दिया था इसके बावजूद दोनों अधी0न्याया0 ने इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध करने में त्रुटि कारित की है। इस बिन्दु पर कोई

विवाद नहीं है कि मृतक भारूराम के नाम से चक 18 एम.एम.के. में 72 बीघा तथा 16 एम.एम.के. 47 बीघा भूमि थी। भारूराम के तीन पुत्र थे। भारूराम की मृत्यु के पश्चात् उसके तीनों पुत्रों को बहिस्सा बराबर भूमि प्राप्त हुई अर्थात् चक 18 एम.एम.के. की 72 बीघा भूमि में से सदुराम को 1/3 हिस्सा अर्थात् 24 बीघा भूमि प्राप्त हुई। सदुराम का एक पुत्र अपीलांट संख्या 1 भादरराम है जिसका सदुराम के 1/3 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा अर्थात् 12 बीघा भूमि पर जन्म से ही अधिकार प्राप्त है, क्योंकि भारूराम से प्राप्त भूमि पैतृक संपत्ति है। प्रथम तो सदुराम ने तमलीकनामा किया ही नहीं है, तर्क के लिए तमलीकनामा को मान भी लिया जावें तो सदुराम की 18 बीघा भूमि नहीं है उसकी केवल 12 बीघा भूमि है। वह भी अपने पुत्र भादरराम के साथ सहकाश्त की भूमि है। बिना विभाजन करवाए किला विशेष का तमलीकनामा नहीं करवाया जा सकता है। इस तनकी का निर्णय अपीलीय न्यायालय ने एक नए आधार पर किया है, तनकी का निर्णय अपीलीय न्यायालय के अनुसार भारूराम के नाम 119 बीघा भूमि थी, जिसमें सुदराम का 1/3 हिस्सा अर्थात् 39 बीघा भूमि थी, जिसमें सदुराम का 1/2 हिस्सा व भादरराम का 1/2 हिस्सा है, इसलिए सदुराम 18 बीघा भूमि का तमलीकनामा करने में सक्षम है। यह निष्कर्ष रिकार्ड के पूर्णतया विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। भारूराम के नाम से चक 18 एम.एम.के. तथा 16 एम.एम.के. में कुल 119 बीघा भूमि थी। भारूराम से सदुराम को दोनों चकों में भूमि प्राप्त हुई व दोनों चकों की भूमि में भादरराम का जन्म से अधिकार है। जब तक भूमि का विभाजन नहीं हो जाता है किसी व्यक्ति विशेष का एक विशिष्ट की भूमि पर अधिकार नहीं होता है। दूसरा विवादित बिन्दु यह है कि क्या तमलीकनामा सह भागीदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित किया जा सकता है। विवादग्रस्त भूमि में रामप्यारी सहभागीदार नहीं है इसलिए रामप्यारी के पक्ष में तमलीकनामा निष्पादित नहीं करवाया जा सकता है। तनकी संख्या 5 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था, जिसे प्रतिवादीगण ने भलीभांति प्रकार से साबित किया था कि सुदराम का मुख्त्यारनामा व तमलीकनामा निष्पादित नहीं करवाया है क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। मुख्त्यारनामा व तमलीकनामा के लेखक व गवाहान को पेश नहीं किया गया व ना ही साबित करवाया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2004 तथा न्यायालय सहायक कलक्टर, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3.01.04

निरस्त किया जावें तथा दावा संख्या 77 / 99 उनवानी रामप्यारी बनाम भादरराम निरस्त किया जावें। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2000 एससी पेज 419, डीएनजे 2002 (2) राज0 पेज 804, एआईआर 2003 आंध्रा0 पेज 498 आदि के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किए।

5— विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कथन किया कि दोनों अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । योग्य अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिया कि मुख्त्यारनामा दिनांक 1.7.74 तथा तमलीकनामा दिनांक 4.10.74 दोनों ही सक्षम अधिकारी के समक्ष तहरीर तकमील कर पंजीकृत करवाए गए है। इन दस्तावेजात को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाए बिना अपीलांट को ऐसी आपत्ति उठाने का अधिकार नहीं है। अगर यह दस्तावेज विधि विरूद्ध है या स्व0 सदूराम की दीमागी हालत सही ना होने की स्थिति में तहरीर कर पंजीकृत करवाये गये है तो इन बिन्दुओं पर सक्षम दीवानी न्यायालय ही दोनों पक्षों को सुनकर गुणावगुण पर आदेश पारित कर सकता है । किन्तु हस्तगत प्रकरण में अपीलांट ने उक्त दस्तावेज को सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है जिससे उक्त दस्तावेज को नहीं मानने का कोई आधार नहीं है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें किसी हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

7— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया ।

8— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीया / वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 रामप्यारी पत्नि भादरराम ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ के न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 77 / 1999 वर्तमान अपीलांट / प्रतिवादी एवं वर्तमान रेस्पो0 सं0 2 लगायत 7 / प्रतिवादीगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0, 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि वादिया के ससुर सदूराम के नाम चक 18 एम0के0एम0 पत्थर नंबर 104 / 197 कि0नं0 16 व 25, 105 / 197, कि0 नं0 11 से 13, 18 से 23, 105 / 198, कि0नं0 1 से 3, 104 / 198, कि0 नं0 4 से 10 कुल 18 बीघा खातेदारी दर्ज थी । सदूराम ने अपने भाई श्री कुशलाराम को दिनांक 01.07.74 को मुख्तयारआम नियुक्त किया । उक्त वर्णित आराजी वादिया के ससुर ने

जरिये तमलीकनामा दिनांक 04.10.1974 को वादिया के हक में तमलीक कर दी, तभी से वादिया के कब्जा काश्त में यह भूमि चली आ रही है । वादिया के ससुर का देहांत होने के बाद वादिया को सुने बिना उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई, जबकि विवादित आराजियात में प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है । अतः वादपत्र में दर्शाये अनुसार वाद डिक्री किया जावे। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर कथन किया कि स्व0 सदूराम की उनके जीवनकाल में वर्ष 1970 से दिमागी अवस्थ खराब हो चुकी थी तथा अपना भला–बुरा सोचने समझने में असमर्थ हो गये थे। स्व0 सदूराम ने उप पंजीयक संगरिया के यहां दिनांक 01.07.1974 को मुख्त्यारनामा तस्दीक नहीं करवाया एवं ना ही सदूराम ने अपने जीवनकाल में कोई तमलीकनामा नहीं किया तथा ना ही कब्जा सुपुर्द किया गया है । यह भी कथन किया कि भूमि जद्दी जायदाद होने के कारण स्व0 सदूराम अपने जीवनकाल में तमलीकनामा कराने में समर्थ नहीं थे । संयुक्त परिवार की कुल 119 बीघा भूमि चक 15, 16 व 18 एम0के0एम0 में कुल 72 बीघा में सदूराम के हिस्सा में आई 1/3 हिस्सा की 24 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या भादर का 1/2 हिस्सा होने के कारण सदूराम को विवादित भूमि किसी से अन्यंत्र अंतरण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है । अतः वाद खारिज किया जावे । विचारण न्यायालय ने वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर वाद में अनुतोष सहित कुल 6 तनकीयात कायम कर वादीया/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद निर्णय दिनांक 03.01.2004 को स्वीकार कर डिक्री किया है ।

9– विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांटस द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रथम अपील पेश की गई जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2004 के द्वारा अपील खारिज की है ।

10– दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों तथा पत्राावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलांटस एवं रेस्पो0 एक ही परिवार के सदस्य है । पक्षकारान के पूर्वज भारूराम थे, जिनके तीन लड़के सदूराम, कुशलाराम व मल्लूराम थे । सदूराम की मृत्यु हो चकी है । मृतक सदूराम के पत्नि, लड़का तथा पांच लड़किया है, जो मृतक सदूराम के विधिक वारिसान है । विवादित भूमि मृतक सदूराम की खातेदारी की थी, जो उसे अपने

पिता भारूराम से अपने भाईयों के साथ विरासतन प्राप्त हुई थी । मृतक भारूराम के नाम से ग्राम 18 एम.एम.के. में 72 बीघा भूमि तथा ग्राम 16 एम.एम. के. में 47 बीघा भूमि कुल 119 बीघा भूमि थी । भारूराम की मृत्यु के पश्चात् उपरोक्त वर्णित भूमि उसके तीन पुत्रों सदूराम, कुशलाराम व मल्लूराम के नाम विरासतन बहिस्सा बराबर–बराबर राजस्व रिकार्ड में अंकित हुई । इस प्रकार चक 18 एम.एम.के. में दर्ज 72 बीघा भूमि से सदूराम को 1/3 हिस्सा अर्थात् 24 बीघा भूमि प्राप्त हुई थी । सदूराम के एक लड़का अपीलांट/प्रतिवादी भादरराम है जिसका सदूराम के 1/3 हिस्से में 1/2 हिस्सा अर्थात् 12 बीघा भूमि पर जन्म से ही अधिकार प्राप्त है क्योंकि भादरराम से प्राप्त भूमि पैतृक सम्पति है । ऐसी स्थिति में विवादित भूमि चक 18 एम.एम.के. में भारूराम की मृत्यु उपरांत सदूराम का हिस्सा 18 बीघा नहीं था बल्कि उसका हिस्सा केवल 12 बीघा ही बनता है । ऐसी स्थिति में वह अपने हिस्से से ज्यादा का बिना विभाजन के विशेष खसरा नंबरान बाबत् तमलीकनामा निष्पादित नहीं करवा सकता था । विचारण न्यायालय ने चक 18 एम.एम.के. की 72 बीघा एवं चक 16 एम.एम.के. रकबा 47 बीघा दोनों में मृतक सदूराम का 39 बीघा हिस्सा होना मानकर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की है जबकि विवादित भूमि पैतृक होकर संयुक्त खातेदारी की होकर अविभाजित सम्पति है । तथा अविभाजित सम्पति में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर समान रूप से हक अधिकार व कब्जा काश्त होने की अवधारणा मानी जाती है । विचारण न्यायालय ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय विधिविरूद्ध रूप से वादीया के पक्ष में निर्णित किया है । जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । **हस्तगत प्रकरण में मुख्य रूप से यह भी विचारणीय बिन्दु थे कि– प्रथम– क्या बिना विभाजन करवाये किला विशेष का तमलीकनामा निष्पादित किया जा सकता था, द्वितीय– क्या तमलीकनामा सहभागीदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित किया जा सकता था, तृतीय– क्या वादीया के पक्ष में निष्पादित तमलीकनामा से वादीया को कोई हक व अधिकार प्राप्त होते है ?** विचारण न्यायालय को इन बिन्दुओं के आधार पर भी वाद में तनकीयात कायम कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के क्रम में इन बिन्दुओं का निस्तारण करना चाहिये था जो उनके द्वारा नहीं किया जाना पाया जाता है । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी इन तथ्यों को नजरअंदाज कर अपील खारिज की है जिसे भी विधिसम्मत् निर्णय नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक

रूप से स्वीकार योग्य तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

11— परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2004 तथा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2004 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, हनुमानगढ़ को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे निर्णय में दिये गये उपरोक्त विवेचन के क्रम में अतिरिक्त विवाद्यक बिन्दु कायम कर, उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रत्येक विवाद्यक पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष